



मुख्य दुर्घटना जोखिम (MAH) यूनिटों में सुरक्षा

Safety in Major Accident Hazard (MAH) units

18th – 20th November, 2025

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

कारखाना सलाह

सेवा एवं श्रम संस्थान महानिदेशालय

क्षेत्रीय श्रम संस्थान, फरीदाबाद

(औद्योगिक सुरक्षा विभाग)

(एक आईएसओ 9001:2015 प्रमाणित संस्थान)

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT
DIRECTORATE GENERAL FACTORY
ADVICE SERVICE & LABOUR INSTITUTES
REGIONAL LABOUR INSTITUTE, FARIDABAD
(Industrial Safety Division)
(An ISO 9001:2015 Certified Institute)

About DGFASLI and RLI Faridabad

DGFASLI is an attached office of the Ministry of Labour & Employment, Government of India and serves as a technical arm to assist the Ministry in formulating national policies on occupational safety and health in factories and docks. Regional Labour Institute (RLI) at Faridabad is a subordinate office under the DGFASLI and caters to occupational safety and health in factories.

Programme Preamble

In today's dynamic industrial environment, preparedness for emergencies is crucial to safeguarding lives and assets. The training programme on Safety in Major Accident Hazard (MAH) Units is designed to enhance understanding of the statutory requirements, risk management practices, and preventive measures prescribed under the Manufacture, Storage and Import of Hazardous Chemicals (MSIHC) Rules, 1989. The programme aims to equip participants with essential knowledge on legal provisions, hazard identification, process safety, emergency preparedness, and safety auditing in chemical and allied industries classified as MAH units. Through focused sessions, participants will gain insights into developing On-site and Off-site Emergency Plans, conducting HIRA and Safety Audits, and strengthening overall safety culture to prevent, control, and mitigate the impact of major industrial accidents.

Objectives

This programme intends to equip participants with the knowledge and skills required to effectively under basics of major accident units and develop and implement mitigation strategies, ensuring preparedness and compliance with safety regulations.

Course Highlight

- Introduction to National Policy on Safety, Health & Environment
- Legal Provisions under MSIHC Rules for MAH Units
- Hazard Identification and Risk Assessment (HIRA)
- On-site and Off-site Emergency Planning
- Process Safety and Control of Chemical Hazards
- Safety Audit and Transportation of Hazardous Chemicals

Participation: This programme is designed for the Safety Professionals, Engineers, Technicians, Supervisors & Management personnel etc.

Date And Timings: Three days 18th – 20th November, 2025 from 10.00 to 1700 hrs.

Venue: Nalanda Conference Room, First Floor, Regional Labour Institute, Sector 47, Faridabad – 121010

Administrative and Payment Details:

Institution fee @ Rs 5000/- (Rs Five thousand only) per participant through Bharatkosh portal (<https://bharatkosh.gov.in>) may be deposited online by using the following steps **after nomination confirmed from Course Coordinator**. Institution fee does not include any refreshment/lunch. **Fee once submitted will not be refunded/adjusted.**

Payment Procedure:

- ❖ Login to <https://bharatkosh.gov.in>
- ❖ Quick payment
- ❖ Ministry: 021 Labour & Employment
- ❖ Purpose: Training and services fees
- ❖ Pay & Account Office (PAO): PAO(CLC), New Delhi
- ❖ DDO Code: 202195 (Regional Labour Institute, Faridabad)
- ❖ Remarks: **Training Programme on Safety in Major Accident Hazard (MAH) Units**

(Note: Bharatkosh receipts without the aforesaid remarks will not be considered for confirmation).

Accommodation: Limited number of non-family hostel accommodation, **if available** during the training program, can be provided on twin sharing basis in the hostel of the institute at the prescribed rates.

Nomination & Registration: Nomination may be sent by email to the Course Coordinator, Regional Labour Institute, Sector 47, Faridabad – 121010, **on or before 12 November, 2025**. **Participation to the programme is subject to confirmation from this Institute.**

Training Coordinator

Dr Kunal Sharma,
Asst. Director (Safety)
Regional Labour Institute
Sector-47, Faridabad-121 010
Phone: 0129-2985531, 9899056933
Email: sharma.kunal@dgfasli.nic.in
Website: www.dgfasli.nic.in



REGIONAL LABOUR INSTITUTE FARIDABAD
DIRECTORATE GENERAL FACTORY ADVICE SERVICE AND LABOUR INSTITUTES
Ministry of Labour and Employment, Government of India

Training Programme on Safety in Major Accident Hazard (MAH) Units
18th - 20th November, 2025 (10:00 – 17:00 Hrs)

Nomination cum Registration Form

PARTICIPANT DETAILS

Name (Block Letters) (In Hindi and English both):

Designation:

Address for Communication:

Age:

Qualification:

Total Experience:

Mobile No. and Email ID:

BELONGS TO: (GEN / SC/ ST / OBC / PH)

DETAILS OF SPONSORING ORGANIZATION (if any)

Name & Address:

Telephone No. / Mobile No.

E-mail ID:

INSTITUTE/PROGRAMME FEE DETAILS:

Bharatkosh Receipt No.

Date:

Place: _____

Date: _____

(Signature of Participant)



मुख्य दुर्घटना जोखिम (MAH) यूनिटों में सुरक्षा

Safety in Major Accident Hazard (MAH) units

18 से 20 नवंबर, 2025

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

कारखाना सलाह

सेवा एवं श्रम संस्थान महानिदेशालय

क्षेत्रीय श्रम संस्थान, फरीदाबाद

(औद्योगिक सुरक्षा विभाग)

(एक आईएसओ 9001:2015 प्रमाणित संस्थान)

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT
DIRECTORATE GENERAL FACTORY
ADVICE SERVICE & LABOUR INSTITUTES
REGIONAL LABOUR INSTITUTE, FARIDABAD
(Industrial Safety Division)
(An ISO 9001:2015 Certified Institute)

डीजीएफएसएलआई और क्षेत्रीय श्रम संस्थान (RLI) फरीदाबाद

भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है, जो मंत्रालय को कारखानों और बंदरगाहों में व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य (Occupational Safety and Health) से संबंधित राष्ट्रीय नीतियों के निर्माण में तकनीकी सहयोग प्रदान करता है। क्षेत्रीय श्रम संस्थान फरीदाबाद डीजीएफएसएलआई के अंतर्गत एक अधीनस्थ कार्यालय है, जो कारखानों में व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित कार्यों का संचालन करता है।

कार्यक्रम प्रस्तावना

“मेजर एक्सीडेंट हैज़र्ड (MAH) यूनिट्स में सुरक्षा” पर आधारित यह प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रतिभागियों की समझ को निर्माण, भंडारण और खतरनाक रसायनों के आयात (MSIHC) नियम, 1989 के अंतर्गत निर्धारित वैधानिक आवश्यकताओं, जोखिम प्रबंधन प्रथाओं और निवारक उपायों के संबंध में सुदृढ़ करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। यह कार्यक्रम प्रतिभागियों को केंद्रित सत्रों के माध्यम से प्रतिभागी ऑन-साइट और ऑफ-साइट आपात योजना विकसित करने, HIRA और सुरक्षा ऑडिट करने तथा प्रमुख औद्योगिक दुर्घटनाओं के प्रभाव को रोकने, नियंत्रित करने और कम करने हेतु समग्र सुरक्षा संस्कृति को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक अंतर्दृष्टि प्राप्त करेंगे।

उद्देश्य

यह कार्यक्रम प्रतिभागियों को मेजर एक्सीडेंट यूनिट्स (MAH Units) की मूल अवधारणाओं को प्रभावी रूप से समझने तथा जोखिम न्यूनीकरण रणनीतियाँ विकसित और कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है, ताकि वे सुरक्षा नियमों के अनुरूप तैयारी और अनुपालन सुनिश्चित कर सकें।

कोर्स की विशेषताएँ

- सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर राष्ट्रीय नीति का परिचय
- एम.एस.आई.एच.सी. (MSIHC) नियमों के अंतर्गत मेजर एक्सीडेंट हैज़र्ड (MAH) इकाइयों के लिए कानूनी प्रावधान
- खतरे की पहचान एवं जोखिम मूल्यांकन (HIRA)
- ऑन-साइट और ऑफ-साइट आपातकालीन योजना
- प्रक्रिया सुरक्षा एवं रासायनिक खतरों का नियंत्रण
- सुरक्षा ऑडिट एवं खतरनाक रसायनों का परिवहन

भागीदारी:

यह कार्यक्रम **सुरक्षा पेशेवरों, अभियंताओं, तकनीशियनों, पर्यवेक्षकों तथा प्रबंधन कर्मियों** आदि के लिए तैयार किया गया है।

तिथि और समय: तीन दिन का कार्यक्रम 18 से 20 नवंबर, 2025, समय सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक।

स्थान: नालंदा सम्मेलन कक्ष, प्रथम तल, क्षेत्रीय श्रम संस्थान, सेक्टर 47, फरीदाबाद – 121010

प्रशासनिक और भुगतान विवरण:

संस्थान शुल्क प्रति प्रतिभागी **₹5000/- (केवल पांच हजार रुपये)** भारतमाला पोर्टल (<https://bharatkosh.gov.in>) के माध्यम से ऑनलाइन जमा किया जा सकता है। यह शुल्क तभी जमा किया जाए जब कोर्स समन्वयक द्वारा नामांकन पुष्टि कर दे। संस्थान शुल्क में किसी भी प्रकार की नाश्ता/लंच शामिल नहीं है। एक बार शुल्क जमा हो जाने के बाद इसे वापस नहीं किया जाएगा और न ही समायोजित किया जाएगा।

भुगतान प्रक्रिया:

- <https://bharatkosh.gov.in> पर लॉगिन करें
- क्विक पेमेंट (Quick Payment) विकल्प चुनें
- मंत्रालय: 021 श्रम और रोजगार (Labour & Employment)
- उद्देश्य: प्रशिक्षण और सेवा शुल्क (Training and Services Fees)
- भुगतान और लेखा कार्यालय (PAO): PAO(CLC), नई दिल्ली
- DDO कोड: 202195 (क्षेत्रीय श्रम संस्थान, फरीदाबाद)
- टिप्पणियाँ: मेजर एक्सीडेंट हैज़र्ड (MAH) यूनिट्स में सुरक्षा पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

(नोट: उपरोक्त टिप्पणियों के बिना भारतकोष रसीदों को नामांकन पुष्टि के लिए मान्यता नहीं दी जाएगी।)

आवास: सुविधा

प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान, यदि उपलब्ध हो, तो संस्थान के हॉस्टल में सीमित संख्या में गैर-परिवार आवास द्विन शेयरिंग (दो व्यक्तियों के लिए साझा) आधार पर निर्धारित दरों पर प्रदान किया जा सकता है।

नामांकन और पंजीकरण:

नामांकन ईमेल के माध्यम से भेजा जा सकता है कोर्स समन्वयक, क्षेत्रीय श्रम संस्थान, सेक्टर 47, फरीदाबाद – 121010 को, 12 नवंबर, 2025 तक।
कार्यक्रम में भागीदारी इस संस्थान से पुष्टि के अधीन होगी।

प्रशिक्षण समन्वयक

डॉ. कुणाल शर्मा,
सहायक निदेशक (सुरक्षा)
क्षेत्रीय श्रम संस्थान, सेक्टर-47, फरीदाबाद-121010
फोन: 0129-2985531, 9899056933
ईमेल: sharma.kunal@dgfasli.nic.in
वेबसाइट: www.dgfasli.nic.in



फरीदाबाद क्षेत्रीय श्रम संस्थान
कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान महानिदेशालय
श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार

मुख्य दुर्घटना जोखिम (MAH) यूनिटों में सुरक्षा पर प्रशिक्षण कार्यक्रम
18 से 20 नवंबर, 2025 (10:00 – 17:00 बजे)

नामांकन सह पंजीकरण फॉर्म

****प्रतिभागी विवरण****

1. नाम (बड़े अक्षरों में) (हिंदी और अंग्रेजी दोनों में):
2. पदनाम:
3. संचार के लिए पता:
4. उम्र:
5. शैक्षणिक योग्यता:
6. कुल अनुभव:
7. मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी:
8. ****संबंधित श्रेणी:**** (सामान्य / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / दिव्यांग)
9. ****प्रायोजक संस्था का विवरण (यदि कोई हो)****
10. नाम और पता:
11. टेलीफोन नंबर / मोबाइल नंबर:
12. ईमेल आईडी:

****संस्थान/प्रशिक्षण कार्यक्रम शुल्क का विवरण****

भारतकोष रसीद संख्या: _____

दिनांक: _____

स्थान: _____

दिनांक: _____

(प्रतिभागी के हस्ताक्षर)